# उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

## द्वितीय अपील क्रमांक 588/2003

1. शिवशंकर सोनी, उम्र 47 वर्ष लगभग,

2. रविशंकर सोनी, उम्र 45 वर्ष लगभग,

3. भोले शंकर सोनी, उम्र 37 वर्ष लगभग, द्वितीय अपील

सभी पुत्र मदन गोपाल सोनी, निवासी हलवाई लाइन, सदर बाजार वार्ड, रायपुर।

**----- अपीलार्थी/वादी**

**बनाम**

जयंती भाई पिता लखमासी भाई, निवासी हलवाई लाइन, वार्ड, रायपुर।

**----- प्रत्यर्थी/प्रतिवादी**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

व्यवहार वाद का मूल्यांकन रुपये 640/- रुपये तथा न्यायालय शुल्क रुपये 64/- चस्पा किया गया है।

प्रथम अपील का मूल्यांकन रुपये 640/- रुपये तथा न्यायालय शुल्क रुपये 64/- चस्पा किया गया है।

इस अपील का मूल्यांकन रुपये 640/- रुपये तथा न्यायालय शुल्क रुपये 64/- चस्पा किया गया है।

**<u>अपील अंतर्गत धारा 100 व्यवहार प्रक्रिया सहिंता</u>**

# उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय अपील क्रमांक 588/2003

शिव शंकर सोनी एवं अन्य

बनाम

जयंती भाई

दिनांक 24.12.2004 को निर्णय के लिए सूचीबद्ध

**सही/–**
**सुनील कुमार सिन्हा**
**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

# उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय अपील क्रमांक 588/2003

**शिव शंकर सोनी एवं अन्य**

**बनाम**

**जयंती भाई**

---

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी. पी. शर्मा, अधिवक्ता

---

**निर्णय**

**(24.12.2004)**

**सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(1) ग्राहयता के प्रश्न पर सुना गया।

(2) यह अपील व्यवहार अपील क्रमांक 29-अ/2003 में चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 06.09.2003 को पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरुद्ध व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जो व्यवहार वाद क्रमांक 67-अ/2001 में एकादश व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रायपुर द्वारा दिनांक 22.4.2003 को पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति से उत्पन्न हुई है। विचारण न्यायालय ने भू-स्वामियों द्वारा उनके स्वामित्व वाली 4 मंजिला भवन के प्रथम तल में स्थित आवासीय परिसर (एक छोटा कमरा) से बेदखल करने के वाद पर निर्णय पारित किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अभिधारी (किराएदार) की अपील स्वीकार कर ली तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति को अपास्त कर दिया। अपीलार्थी/वादी ने उपरोक्त निर्णय एवं आज्ञप्ति को उलट दिए जाने के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

(3) वादी का मामला इस प्रकार है कि हलवाई लाइन, सदर वार्ड, रायपुर स्थित आवासीय मकान क्रमांक 11/94 (नया क्रमांक 44/45) वादीगण का मकान है। प्रतिवादीगण मकान के प्रथम तल में मासिक किराए पर अभिधारी के रूप में निवासरत है। वादीगण ने उपरोक्त किराए के मकान से बेदखली के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण के अनुसार उनके परिवार में 17 सदस्य हैं और उनके लिए प्रश्नगत मकान में सभी को रखना कठिन हो गया है तथा रायपुर शहर या टाउनशिप में उनके अधिभोग में अपना स्वयं का युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त कोई अन्य निवासेत्तर स्थान नहीं है। वास्तव में वादीगण ने म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12(1)(ड) में निर्दिष्ट आधारों का सहारा लिया है। वादी ने यह भी अभिवाक किया है कि किराए का मकान पुराना है और उन्हें इसे ध्वस्त करना है और उसके बाद एक नया निर्माण किया जाना है जो मकान खाली किए बिना नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वादी ने अधिनियम की धारा 12(1)(छ) में निर्दिष्ट आधार भी लिया है। उन्होंने किराएदार के खिलाफ रुपये 260/- के किराए के बकाया के संबंध में धारा 12(1)(क) के तहत आधार भी लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) प्रतिवादी/अभिधारी ने वादी के तर्कों का खंडन करते हुए अपना जवाब दावा दाखिल किया। उनका अभिवाक था कि वादी ने अपने परिवार के सदस्यों की संख्या सही ढंग से नहीं बताई है। वादी का पूरा मकान बहुत बड़ा है और सभी सदस्य उसमें रह सकते हैं। वादी का एक अन्य किराये का मकान भी खाली करा लिया गया है, इसलिए उन्हें कुछ अतिरिक्त कमरे उपलब्ध हो गए हैं। मकान अच्छी स्थिति में है और पुनर्निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है तथा ध्वस्तीकरण और पुनर्निर्माण के संबंध मे लिया गया अभिवाक झूठी है। वास्तव में वादी किसी भी तरह से उसे वाद मकान से बेदखल करना चाहते हैं, इसलिए झूठे और निराधार आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने विशेष रूप से अभिवाक किया है कि वादी को मकान

की वास्तविक रूप से आवश्यकता नहीं है। उन्होंने किराए के बकाया के बारे में भी इनकार किया, जैसा कि वादी ने अभिवाक किया है।

(5) विद्वान विचारण न्यायाधीश ने इस मामले में विभिन्न विवाद्यकों की विरचना किया और पक्षकारों के साक्ष्य अभिलिखित करने के बाद उनके द्वारा उठाए गए सभी आधारों को ध्यान में रखते हुए वादियों के वाद का निर्णय उनके पक्ष में पारित किया।

(6) विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और आज्ञप्ति के विरुद्ध प्रतिवादी (किरायेदार) ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आज्ञप्ति को उलट दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कर विधि की त्रुटि की है कि वादी को मकान की वास्तविक आवश्यकता नहीं थी और इस बिंदु पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विकृत है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि वास्तव में मकान असुरक्षित और मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त हो गया है और पुनर्निर्माण के लिए भू-स्वामियों को वास्तविक आवश्यकता है और मकान खाली किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि यह अभिलेख पर स्थापित किया गया है कि रायपुर की टाउनशिप में भू-स्वामियों के पास कोई अन्य युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त आवासीय मकान नहीं है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने उनके पक्ष में सही ढंग से निर्णय सुनाया था और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के द्वारा दिया गया विपरीत निष्कर्ष विकृत हैं। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि किराए के बकाया के संबंध में विपरीत निष्कर्ष भी विकृत हैं।

(8) मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को श्रवण किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों तथा उनके द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति का भी अवलोकन किया

है। सर्वप्रथम, यहां इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्तमान वाद जिस मकान के लिए प्रस्तुत किया गया है, उसकी प्रकृति, स्थिति एवं माप क्या है। यह निर्विवाद है कि किराए का मकान एक छोटा कमरा है तथा कमरे का आकार 12 फीट **x** 7.3 फीट है। यह वादी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त मानचित्र से स्पष्ट है, जिसमें मकान की स्थिति तथा वादी के सम्पूर्ण मकान की विभिन्न मंजिलों पर उपलब्ध कमरों को दर्शाया गया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि कमरा उक्त मकान की पहली मंजिल पर है। नक्शा भी दर्शाता है कि मकान एक बहुमंजिला इमारत है जिसमें भूतल सहित 4 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल पर कई कमरे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अभिधारी के लिए एक कमरा छोड़कर परिवार के लगभग 16-17 सदस्यों को उक्त मकान में ठहराया जा सकता है या नहीं? वादीगण ने अपने मामले के समर्थन में केवल एक गवाह का परीक्षण कराया है। वह गवाह भोले शंकर है (वादी क्रमांक 3 को वादी साक्षी क्रमांक 1 के रूप में) । उन्होंने केवल यह कहा है कि उनके परिवार में 17 सदस्य हैं और सभी एक ही मकान में रह रहे हैं, उन्हें उक्त मकान में रहने में कुछ कठिनाई हो रही है। इसलिए उन्हें किराए का कमरा भी चाहिए। उन्होंने अपने साक्ष्य के कंडिका-5 में स्वीकार किया है कि उनका परिवार भी उक्त परिसर में किराए पर रह रहा था और बाद में उन्होंने इसे खरीद लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि घर में 4 अभिधारी थे, जिनमें से दो ने पहले ही अपने-अपने मकान खाली कर दिए हैं और उन्हें कब्जा मिल गया है। उपरोक्त के अलावा, उनके द्वारा कोई भी बयान नहीं दिया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय के कंडिका 10 और 11 के अनुसार उनके साक्ष्य पर विचार किया है और अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष को पलट दिया है, जिसमें कहा गया है कि वास्तव में, वादी की वास्तविक आवश्यकता उनके द्वारा साबित नहीं की गई है। इसने प्रतिवादी के साक्ष्य का भी उल्लेख किया है, जिसका परीक्षण प्रतिवादी साक्षी क्रमांक-1 के रूप में की गई थी और उसने बयान दिया था कि वादी के घर में प्रत्येक मंजिल पर 4-6 कमरे हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निष्कर्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिया कि वास्तव में, वादी के मकान में 14-15 कमरे हैं, साथ ही संलग्न सुविधाएं भी हैं और उनके द्वारा दिखाई गई अनिर्दिष्ट आवश्यकता वास्तविक नहीं लगती है। वास्तव में, वादी ने अपनी आवश्यकता के संबंध में कोई विशिष्ट अभिवाक नहीं किया है, जिसे अधिनियम की धारा 12(1)(ङ) के अर्थ में सद्भावनापूर्ण आवश्यकता कहा जा सके।

(9) विधानमंडल ने अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1)(ङ) में दो महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है, ये हैं "आवश्यकता" और "वास्तविक"। "आवश्यकता" शब्द "इच्छा" शब्द से अधिक अर्थ रखता है। अंतर आवश्यकता की तीव्रता में निहित है। विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त "आवश्यकता" शब्द में "अवश्य" का तत्व निहित है जबकि "इच्छा" शब्द में ऐसा कोई अर्थ या महत्व नहीं है। इस शब्द का प्रयोग और इसे बेदखली के लिए महत्वपूर्ण आधारों में से एक के रूप में रखना विधानमंडल की मंशा को दर्शाता है कि मकान की आवश्यकता वास्तविक आवश्यकता होनी चाहिए और यह केवल इच्छा नहीं होनी चाहिए कि भू-स्वामी किसी कारण से अपना मकान खाली करवाना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण तत्व हमेशा "आवश्यकता" के साथ जुड़ा होता है। वास्तव में, परोपकारी विधि में प्रयुक्त यह महत्वपूर्ण शब्द भू-स्वामी की केवल इच्छा या सोच नहीं हो सकता है, जो उसकी सुविधा या उसके या उसके परिवार के लिए कुछ और बेहतर सुविधाओं पर निर्भर हो सकता है। "आवश्यकता" शब्द के साथ "वास्तविक" शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि भू-स्वामी की कार्रवाई मनमानी या अभिधारी को किराए के मकान से जबरन बाहर निकालने का एक बनाया हुआ तरीका नहीं होना चाहिए। वास्तव में, आवश्यकता को यथार्थ, ईमानदार और वास्तविक साबित किया जाना चाहिए, तभी उसे भू-स्वामी की "वास्तविक आवश्यकता" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रताप राय तनवानी और अन्य बनाम उत्तम चौड़ और अन्य, (2004) 8 एससीसी 490** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"सभी विधानों द्वारा बेदखली के लिए एक आधार जो अन्यथा आम तौर पर किरायेदारों के पक्ष में भारी पड़ता है, वह है भू-स्वामी के पास अपने उपयोग या अपने कब्जे के लिए आवासीय या गैर आवासीय परिसर होना। विभिन्न विधानों द्वारा प्रयुक्त अभिव्यक्तियाँ भिन्न हो सकती हैं जैसे "वास्तविक आवश्यकता" "वास्तविक" "युक्तियुक्त रूप से और सद्भावनापूर्वक आवश्यकता होती है", इत्यादि। चाहे जो भी स्पष्टीकरण दिया गया हो, अंतर्निहित विधायी आशय वह है जिसे कई न्यायिक दृष्टांतों में प्रदर्शित किया गया है।" (कृपया निर्णय का कंडिका 12 देखें)

**गुलाबबाई बनाम नलिन नरसी वोहरा (1991) 3 एससीसी 483 और बेगा बेगम बनाम अब्दुल अहद खान (1979) 1 एससीसी 273** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को निर्दिष्ट करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि "युक्तियुक्त आवश्यकता" शब्द निस्संदेह यह मानते हैं कि केवल इच्छा या कामना के विपरीत आवश्यकता का एक तत्व होना चाहिए। इच्छा और आवश्यकता के बीच अंतर को निस्संदेह ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि वास्तविक आवश्यकता को भी इच्छा के अलावा कुछ न माना जाए"। (कृपया निर्णय का कंडिका 14 देखें)। **[1999] 6' एससीसी 222 शिव सरूप गुप्ता बनाम डॉ. महेश चंद गुप्ता** में निर्दिष्ट एक अन्य निर्णय का संदर्भ देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "महसूस की गई आवश्यकता के अर्थ में सद्भावना की अवधारणा, जो एक यथार्थ, ईमानदार इच्छा का परिणाम है, किरायेदार को बेदखल करने के लिए मात्र दिखावा या बहाने के विपरीत, भू-स्वामी के मन की स्थिति को संदर्भित करती है।" भू-स्वामी के मन में झाँकने का एकमात्र तरीका तथ्यों के न्यायाधीश द्वारा खुद को भू-स्वामी की कुर्सी पर बिठाकर और फिर खुद से एक प्रश्न करके किया जाने वाली कार्यवाही है - क्या भू-स्वामी द्वारा प्रमाणित दिए गए तथ्यों में, परिसर पर कब्ज़ा करने की आवश्यकता को प्राकृतिक, वास्तविक, यथार्थ, ईमानदार कहा जा सकता है। यदि उत्तर हाँ में होता है, तो आवश्यकता सद्भाविक है।" (कृपया निर्णय का कंडिका 15 देखें)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस न्यायालय की राय में, वास्तव में, यदि उपर्युक्त परीक्षण को वर्तमान मामले में लागू किए जाते हैं, तो वादीगण 12 फीट **x** 7.3 फीट माप के एक बहुत छोटे कमरे की अपनी वास्तविक आवश्यकता को स्थापित नहीं कर सके और इस संबंध में अपीलीय न्यायालय के पास निर्णय और आज्ञप्ति को उलटने के लिए अच्छा आधार आधार पाया गया है।

(10) पुनर्निर्माण की आवश्यकता के अगले प्रश्न पर आते हुए, यह न्यायालय केवल यह कह सकता है कि वादी अधिनियम की धारा 12(1)(छ) में उल्लिखित किसी भी आधार पर अभिवाक नहीं कर सकता या उसे स्थापित नहीं कर सका। धारा 12(1)(छ) इस प्रकार है:-

> (छ) यह कि वह स्थान मानव निवास के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो गया है और ऐसी मरम्मत कराने के लिए, जो कि उस स्थान को खाली किए बिना नहीं कराई जा सकती, भू-स्वामी को उस स्थान की वास्तविक आवश्यकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस संबंध में अभिवाक वादपत्र के कंडिका-8 में किया गया हैं, जो इस प्रकार हैं:

> "(8) यह कि, वादग्रस्त भवन बहुत पुराना और जर्जर हालत में है तथा वादीगणों को उसे गिराकर पुनः निर्माण भी कराना है। वादीगणों का रायपुर शहर में कोई अन्य मकान युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त रहवास हेतु अन्य निजी स्थान अधियोग में नहीं है।"

उपर्युक्त कंडिका से यह स्पष्ट है कि वादीगण दावा कर रहे हैं कि वे निर्माण को ध्वस्त कर देंगे और उसके बाद वे नए निर्माण (पुनर्निर्माण) कार्य करेंगे। यह न्यायालय उपरोक्त प्रकृति की अभिवचनों को देखकर आश्चर्यचकित है। बहुमंजिला भवन की प्रथम तल पर स्थित एक कमरे को पुनर्निर्माण के उद्देश्य से कैसे ध्वस्त किया जा सकता है। वादीगण का यह मामला नहीं है कि वे पूरी भवन

को ध्वस्त करना चाहते हैं और उसके बाद वे वादग्रस्त भूमि पर कुछ नया निर्माण करना चाहते हैं। यद्यपि, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस मामले पर इस आधार पर विचार नहीं किया है, लेकिन उसने निर्णय के कंडिका-18 के तहत यह अभिनिर्धारित किया है कि भवन की स्थिति और पुनर्निर्माण के लिए वादी पक्ष द्वारा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां तक कि नगर निगम से प्रमाण पत्र या वास्तुकार से नक्शा या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जो इस संबंध में प्रस्तुत किए जा सकते थे, वे भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस संबंध में विपरीत निष्कर्ष देने का निर्णय सही है और इस न्यायालय को भी लगता है कि यह विपरीत निष्कर्ष देना उचित है। इतना ही नहीं, वादी ने यह भी स्थापित नहीं किया है कि किराए का कुछ बकाया था, जिसकी गणना प्रतिवादी द्वारा देय रुपये 260/- की दर से की गई थी; इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि यह अभिलेख पर किसी भी सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित नहीं है और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही ढंग से अभिनिर्धारित किया है कि वादी यह साबित नहीं कर सके कि प्रतिवादी ने किराए का बकाया नहीं चुकाया है, जैसा कि वादी ने दावा किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) इस न्यायालय की राय में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष में कोई विकृति नहीं है कि वादी यह साबित नहीं कर सके कि उनके परिवार के सदस्यों के निवास के लिए उन्हें मकान की वास्तविक आवश्यकता थी या यह मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए वास्तविक आवश्यकता है, क्योंकि यह मानव-निवास के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो गया है और मकान को खाली किए बिना मरम्मत नहीं की जा सकती है या प्रतिवादी पर किराया बकाया है।

(12) यह न्यायालय व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार के बारे में भी सचेत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रीप सिंह**

**(मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम राम सिंह (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि , (2000) 3 एससीसी 708** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत, द्वितीयअपील पर विचार करने का न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल ऐसी अपीलों तक सीमित है, जिनमें विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है और यह उच्च न्यायालय को धारा 100 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय तथ्यों के विशुद्ध प्रश्नों में हस्तक्षेप करने का कोई क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे प्रतिपादित किया है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के संशोधित प्रावधानों के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए विधि के सारवान प्रश्न का अंतर्वलित होना अनिवार्य है और जब तक ऐसे प्रश्न शामिल न हों, अपील पर विचार नहीं किया जाना चाहिए (कृपया **त्यागराजन और अन्य बनाम श्री वेणुगोपालस्वामी बी. कोइल और अन्य (2004) 5 एससीसी 762** में देखें)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) चूंकि इस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित नहीं है, इसलिए यह न्यायालय अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आज्ञप्ति में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है और अपील को ग्राह्यता के चरण में ही खारिज किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, अपील को व्यय के संबंध में कोई आदेश दिए बिना ग्राह्यता के चरण में खारिज किया जाता है।

**सही/–**
**सुनील कुमार सिन्हा**
**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated by : Ashwani Shukla, Advocate**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur